

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इतिरायतसं जज

1-12-21

पत्रावली प्रशासन गावों के लेगे अभियान
2021 ग्राम पंचायत भीमडियास में पेश हुई
अप्राथमिक के सम्मन बाधवा मिल होकर प्राप्त
हुए एवं तहसीलदार मोडल से रिपोर्ट प्राप्त
हुई जिले शा-पठ किया गया एवं प्रार्थी को
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधि
सूचक से लिखा जाकर शा मिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
जम्बर से ऊठे।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गावों के सं अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 22/21 प्र०पत्र

1- श्री मंगमा 510 श्री छोतर वलार निवासी - श्री माईयास तहसील - मांडल

बनाम

1- श्री गोपाल 510 श्री नाक भील निवासी - राजपुरा तहसील - मांडल विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 01-12-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम..... श्री माईयास..... पटवार हल्का..... श्री माईयास तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं..... 1515/569, 1540/579 कुल किता 02..... रकबा..... 1.2647..... हेक्टेयर..... स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक..... 01.12.21..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... श्री माईयास पटवार हल्का..... श्री माईयास तहसील मांडल में स्थित आराजी नं..... 1515/569, 1540/579 कुल किता 02..... रकबा..... 1.2647..... हेक्टेयर..... के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... राजपुरा को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड, जिला - भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कर प्रो.प.र. वि.म.स. के पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
डॉ. पूजा सक्सेना
मांडल, जिला - भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी मांडल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

SCA